संख्या-52/2022/143/23-9-2022-07नाबार्ड(सेतु)/2017

प्रेषक,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय - वित्तीय वर्ष 2021-22 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57/83 मद में सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन ।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-492/नाबार्ड योजना (चालू कार्य/आवंटन)/2021-22, दिनांक 07.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 08 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों के कुल 08 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त 08 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु **सारिणी के स्तम्भ-13 के अनुसार** रू0 4,39,93,000/-(रूपये चार करोड़ उनतालिस लाख तिरानबे हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 3.4662 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 0.9331 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।
3- उक्त 08 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथकपृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत** लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 101-पुल, 34-नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत् निर्माण कार्य**एवं अनुदान सं0-83 के**

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, 16-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयगराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-52/2022/143/23-9-2022-07नाबार्ड (सेतु)/2017, दिनांक 30 मार्च, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अनुबन्धगठन से हुई बचत	अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0)	दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि 0)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
										अनु-057	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत विधानसभा चायलए विकास खण्ड चायल में कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज-मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोड़ने हेतु उक्त मार्ग (राज्य मार्ग सं0-95, मनौरी-सराय अकिल-कौशाम्बी मार्ग) के किमी0-28.170 पर ससुर खदेरी नदी पर दो लेन सेतु के निर्माण कार्य।	76/2020/427/ 23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	420.50	420.50	0.00	0.00	266.83	153.67	87.95	23.67	111.62
2	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में कलवलिया-टेरा मार्ग पर बाल्मीकी नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	646.33	646.33	0.00	0.00	432.48	213.85	61.55	16.57	78.12
3	बिजनौर	जनपद बिजनौर में रवाना से बुलन्दी मार्ग पर कडूला नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	76/2020/427/23-9-2020-08(नाबार्ड सेतु /(2020 दि0 27.03.2020	571.65	0.00	571.65	0.84	543.07	27.74	21.86	5.88	27.74
4	मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में करनपुर से चंदुपुरा सुल्तानपुर मार्ग के किमी0-2 में जाब्दी नदी पर लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	35/2020/106/ 23-9-2020-11नाबार्ड/(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	422.19	0.00	422.19	11.00	358.42	52.77	32.91	8.86	41.77
5	कानपुर नगर	जनपद कानपुर नगर में पतरसा से मर्दनपुर के मध्य निचली गंगा नहर पुल का निर्माण।	35/2020/106/23-9-2020-11नाबार्ड/(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	377.01	0.00	377.01	0.00	169.99	207.02	78.79	21.21	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दि0	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लो0 नि0 वि0 अंश	अनुबन्धगठन से हुई बचत	अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0)	दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि 0)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट		
										अनु-057	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	अयोध्या	जनपद फैजाबाद में अचारी का सगरा से गौराघाट होकर राम बनगमन मार्ग पर बड़ी नहर (शारदा सहायक नहर) पर क्षतिग्रस्त संकरी पुलिया की जगह 3 X 8.50 मी0 स्पान पुलिया (लघु सेतु) का निर्माण।	18/2018/127/ 23-9-2018-06 नाबार्ड /(सेतु)2017 दि0 21.03.2018	165.40	0.00	165.40	0.82	147.13	17.45	13.75	3.70	17.45
7	veBh	जनपद अमेठी में सेमरौता शिवरतगंज हैदरगढ़ मार्ग (अन्य जिला मार्ग) किमी0.1(700) पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कार्य।	35/2020/106/ 23-9-2020-11नाबार्ड/(सेतु)2019 दि0 24.02.2020	65.72	0.00	65.72	0.04	56.29	9.39	7.40	1.99	9.39
8	cLrh	जनपद बस्ती में विधान सभा हरैया के अन्तर्गत मनोरमा नदी पर एन0एच0.28 से भदावल से तपसी धाम होते हुए जगदीशपुर मार्ग के मध्य 3 X 18.75 मी0 के लघु सेतु के पहुंच मार्गए अ0प0 मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	116/2019/1237/23-9-2019-24नाबार्ड/(सेतु)2018 दि0 19.12.2019	552.62	0.00	552.62	0.20	447.63	104.79	42.41	11.43	53.84
			कुल योग-	3221.42	1066.83	2154.59	12.9	2421.84	786.68	346.62	93.31	439.93

(अवमुक्त धनराशि रू0 चार करोड़ उनतालिस लाख तिरानबे हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव

http://s

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।